(b) The proposal envisages construction of two new Container Berths capable of handling six million tonnes per annum of container traffic at an estimated cost of Rs. 700 crores.

(c) Five parties viz Samsung Corporation, ABG Heavy Industries, Marubeni Corporation, Larsen & Toubro and P & O Australia had submitted their offers for this project. Out of these, M/s P&O Australia were selected for award of contract. The agreement has already been signed. The work of construction and reclamation has since started

Road Traffic on National Highways

904. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that (i) though the National Highways consist of only 1.7 per cent of the total road network in the country, it carries 40 per cent of all the road traffic and (ii) the share for Surface Transport in the 8th Plan has declined to 0.6 per cent of public expenditure from 1.4 per cent in the Ist Plan; and

(b) what are the reasons that Government are not giving adequate priority to development of road network considering that it is an essential element for sustained growth?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) Yes, Sir.

(b) Government is giving adequate priority to development of National Highways. However, the funds available through the budget are not adequate.

एक्सप्रेस राजमार्ग (हाईवे) तथा सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे)

905. **श्री अजीत जोगी:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक्सप्रेस राजमार्ग (हाईवे)/सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) बनाने का है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे राजमार्गों का राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ग) इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट की गई धनराशि, यदि कोई हो तो क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी॰जी॰ वेंकटरामन): (क) से (घ) सरकार की प्राथमिकता अत्यधिक भीड़ वाले मौजूदा 2-लेन वाले मार्गों को चार-लेन का बनाने की है। संसाधनों की कमी के कारण एक्सप्रेस मार्गों के विकास को कम प्राथमिकता दी जाती है।

गुजरात में मुख्य पत्तनों की क्षमता

906. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में प्रत्येक मुख्य पत्तन की क्षमता का ब्यौरा क्या है,

(ख) वर्तमान में उनकी क्षमता के कुल कितने प्रतिशत का उपयोग किया जा रहा है,

(ग) क्या सरकार इन पत्तनों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी क्षमता बढ़ाने का विचार रखती है, और

(घ) क्या नयी पत्तन नीति की घोषणा के पश्चात् विदेशी निवेशकों को कोई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी॰जी॰ वेंकटरामन): (क) 31.10.1997 की स्थिति के अनुसार, पत्तनों से संबंधित कार्यदल द्वारा किए गए आकलन के अनुसार कांडला पत्तन की क्षमता 24.99 मिलियन टन है।

(ख) वर्तमान क्षमता पूरी तरह उपयोग में लाई जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) नई पत्तन नीति के तहत विदेशी निवेशकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे है:-

> किसी भारतीय कंपनी में 74% तक विदेशी इक्विटी के लिए स्वत: अनुमोदन। विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, उद्योग मंत्रालय गुण-दोषों के आधार पर 100% इक्विटी की अनुमति प्रदान करता है। ऐसे विदेशी निवेशकों को, जो विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ले चुके हैं, और भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं/पंजीकरण करवाना चाहते हैं, पत्तनों में पायलेटेज को छोड़कर, अन्य